(6)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी एटा।

पत्र संख्या-अ- 1/सीएफओ/(अ0सु0)/19(शैक्षिक स्कूल) दिनांक- 02.02.19

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,
जे0एस0बी0पब्लिक स्कूल,
निकट राजकीय महाविद्यालय
बाईपास रोड जलेसर,एटा।

विषयः-जे0एस0बी0पब्लिक स्कूल निकट राजकीय महाविद्यालय बाईपास रोड जलेसर, एटा में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः-आपका पत्र संख्या व दिनॉक 02.02.2019

कृपया उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, प्रेषित पत्र के अनुसार आपके निर्मित शैक्षिक भवन में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों का निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तो अग्निशमन व्यवस्था कार्यशील दशा में उपलब्ध पायी गयी है जो निम्नवत हैः-

1- प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन वाहन आसानी से आ-जा सकते है।
2-प्रश्नगत शैक्षिक भवन भूतल एवं प्रथम तल तक निर्मित है।
3-प्रश्नगत शैक्षिक भवन में अग्निशामक यन्त्र आई0एस0-2190 के अनुसार स्थापित है जो वर्तमान में सन्तोषजनक है।
4-प्रश्नगत भवन में फायर बकेट स्थापित है।
5-प्रश्नगत भवन में उपलब्ध प्रबन्धक/ स्टाफ को अग्निशमन यन्त्रों के संचालन की जानकारी दी गयी है।
6-फायर सर्विस एवं आकस्मिक सेवाओं के दूरभाष नम्बरों की पटिटका लगी है।
7-निकास द्वार पर संकेतक चिन्ह की पटिटका लगी है।

<u>प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था एवं सुझाव व शर्तः-</u>

अग्निशमन व्यवस्था के संचालन हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी रखे जाय एवं उपलब्ध कर्मचारियों को अग्निशमन प्रणाली एवं रखरखाव का प्रशिक्षण दिलाया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाओं के आधार पर भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं को निम्न शर्तो पर प्रमाणित किया जाता है।

C.F.O.

1-प्रश्नगत भवन में शेष अग्निशमन व्यवस्थायें जनहित में एन0बी0सी0-2016 के पार्ट -4 के फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी टेबिल-7 के ग्रुप-बी(i) एजुकेशन भवन श्रेणी के अग्निशमन व्यवस्थायें एवं उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम -2005 एवं भवन निर्माण विकास उपविधि -2008 यथा संशोधित -2011 के मानकों के अनुरुप व कार्यालय उपनिदेशक के पत्र संख्या-2013/अली0/01/एटा/01 दिनॉक 01.05.2013 के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाये वॉछनीय होगी। जिन्हें 03 माह मे अधिष्ठापित कराकर अग्निशमन विभाग को अवगत कराने का दायित्व स्वामी /प्रबन्धक का होगा।
2-स्वामी/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाओं को कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्श शैडयूल बनाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखे।
3-भवन में निकास जीना / निकास मार्गो को सदैव अवरुद्ध मुक्त रखा जाय।
4-भवन परिसर में अतिरिक्त निर्माण किये जाने पर इस विभाग से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।

कृ0पे0उ0

Scanned with CamScanner

5–वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीव रक्षा , फायर प्रवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

6– भवन में भविष्य में कभी भी निरीक्षण दौरान भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें अकार्य शील पाये जाने पर आप स्वमं जिम्मेदार एवं उत्तरदायी होगे।

7– वर्ष में न्यूनतम 02 बार इवेक्यूवेशन/फायर मॉक ड्रिल कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(शिवदयाल शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
एटा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
एटा

प्रतिलिपिः– प्रभारी अग्निशमन अधिकारी एटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(शिवदयाल शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
एटा।

Scanned with CamScanner